न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/305/2004/जैसलमेर

1— मु0 गोमती बेवा मंगलाराम ।
2— करणाराम
3— सहीराम
4— फगलूराम
5— सुण्डाराम
6— नृसिंहराम
7— मानाराम पुत्रान मंगलाराम
8— मु0 मांगीपुत्री मंगलाराम समस्त जाति विश्नोई निवासी ग्राम सरणायत तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— पांचाराम पुत्र बख्ताराम (मृतक) जरिये कायममुकाम :—
1/1 तीजा देवी पत्नी पांचाराम
1/2 हनुमान पुत्र पांचाराम
1/3 मोहनराम पुत्र पांचाराम
1/4 पूनमचन्द पुत्र पांचाराम
1/5 छगनाराम पुत्र पांचाराम
1/6 समदी पुत्री पांचाराम
1/7 शांति पुत्री पांचाराम समस्त जाति विश्नोई निवासी सरणायत तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।
2— माणकराम पुत्र बख्ताराम
3— राजस्थान सरकार।

खण्ड पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री जी0 एस0 लखावत, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट।

———

निर्णय

दिनांकः—20.12.2023

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील सं0 27/2003 में पारित निर्णय दिनांक 26—12—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के समक्ष एक दावा संख्या 159/1965 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम सरणायत तहसील पोकरण में आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 352 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 26 रकबा 266 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पूर्वजों के समय से वादी के खातेदारी में चली आ रही है । वादी उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पूर्व से काबिज काश्त हैं परन्तु कर्ता खानदान व मुखिया होने से उक्त भूमि प्रतिवादी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली। विवादित आराजी में वादीगण का हक—हिस्सा निहित है वे उक्त भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी हैं । अतः विवादित आराजी का विभाजन किया जावे ।

3— तत्पश्चात् प्रतिवादी बख्ताराम ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के समक्ष दिनांक 08—09—1965 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया ।

4— परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण ने अपने आदेश दिनांक 08—09—1965 के द्वारा राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार कर दिया ।

5— परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08—09—1965 से व्यथित होकर प्रतिवादी बख्ताराम के पुत्र मंगलाराम ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—12—2003 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी ।

6— अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—12—2003 से व्यथित होकर

अपीलान्ट मंगलाराम की बेबा मु0 गोमती व अन्य ने मण्डल के समक्ष उक्त हस्तगत अपील पेश की है ।

7— रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने मण्डल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात राजकीय दस्तावेज हैं जो प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किया जावे ।

8— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील के गुणावगुण तथा रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई।

9— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण वाद के तथ्यों को छिपाते हुए स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही वाद स्पष्ट था । उक्त वाद में आदेश 06 नियम 2 व 3 सीपीसी के आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं थे फिर भी परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया । वादी रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विवादित आराजी के सम्बन्ध में वाद पेश किया तथा विवादित आराजी स्वयं के हिस्से में आना बताया । वादीगण ने अपीलान्ट एवं बख्ताराम के वारिसों का वाद में जिक्र नहीं किया है एवं न ही उनको पक्षकार बनाया है तथा न ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाया । विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता की भूमि होने से जो हिस्सा रेस्पोडेन्ट का बनता है वही हिस्सा अपीलान्ट एवं बख्ताराम के अन्य वारिसों का बनता है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विवादित आराजी का सम्पूर्ण रकबा रेस्पोडेन्ट को नहीं दिया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर ने अपीलान्ट द्वारा उठाये

गये कानूनी बिन्दुओं को अनिर्णित रखते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज खारिज कर दी । वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद दिनांक 19–07–1965 को पेश किया गया तथा वाद दिनांक 08–08–1965 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी को बिना नोटिस जारी कर एवं प्रतिवादी से बिना जवाबदावा लिए ही उसका प्रार्थना पत्र जिसको राजीनामा की संज्ञा दी गई है उसे न तो राजीनामा के रूप में देखा जा सकता है और न ही पढा जा सकता है, के अनुसार विवादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में मान लिया । बख्ताराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अनुसार नहीं माना जा सकता । स्वयं पीठासीन अधिकारी को राजीनामे के बारे में आदेश 23 नियम 7 सीपीसी के तहत आश्वस्त होना पडता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजीनामा की संतुष्टि के बारे में एक लाईन भी अपने निर्णय में नहीं लिखी है । प्रस्तुत प्रकरण में बख्ताराम द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद सहायक कलक्टर के लिए आवश्यक था कि वो रेस्पोडेन्ट को वाद सिद्ध करने के लिए अवसर प्रदान कर साक्ष्य लेते केवल मात्र बख्ताराम के कहने पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है उनका निर्णय आदेश 20 नियम 04 एवं आदेश 20 नियम 01 सीपीसी और डिक्री आदेश नियम 20 आदेश 06 व 7 सीपीसी के अनुसार नहीं है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपीलान्ट की अपील गुणावगुण पर निर्णित करते हुए अपील खारिज करने का जो कारण दिया है वो पर्याप्त नहीं है । राजस्व अपील प्राधिकाकारी ने गलत निर्णय पारित किया है एक ओर राजस्व अपील प्राधिकारी मंगलाराम की अपील उसके भाईयों को पक्षकार नहीं बनाने से अपील अधूरी मान रहे हैं वहीं दूसरी ओर वाद में वादी द्वारा उसके भाईयों को पक्षकार नहीं बनाने को सही मान रहे हैं । उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज नहीं की जा सकती । अपीलान्ट अपने हक हिस्से के लिए लड रहा है जिसके लिए चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में जो आधार लिये हैं वह उचित नहीं है । यदि विवादित आराजी बख्ताराम की स्वयं अर्जित मानी जावे तो बख्ताराम की मौजूदगी में वाद लेकर रेस्पोडेन्ट स्वयं के हिस्से में न तो भूमि रखने

का अधिकार है और न ही हक घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा वादी भी चलने योग्य नहीं था । यदि विवादित आराजी को पैतृक माना जाता है तो भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वादी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–09–1965 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–12–2003 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006 (1) राज0 पेज 303, डीएनजे 2007 (एससी) पेज 270, आरआरडी 1993 पेज 781 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

10– इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–09–1965 के विरूद्ध सन् 2003 में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो लगभग 38 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है । सन् 1984 में मंगलाराम ने अपने पुत्रों के नाम से उपनिवेशन विभाग मोहनगढ में भूमि लेने हेतु आवेदन किये । छः पुत्रों के नाम से उपनिवेशन विभाग मोहनगढ में भूमि आवंटन बाबत् आवेदन किया था । उक्त आवेदन में उन्होंने विवादित आराजी में अपना, अपने पिता का हिस्सा होना नहीं माना है और न ही अपने आवेदन पत्र में विवादित भूमि को अपना होना माना है । दिनांक 21–05–1990 को उनके सभी छः पुत्रों के नाम भूमि आवंटित की गई है । विवादित आराजी बख्ताराम की स्वअर्जित भूमि थी तथा बख्ताराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने सभी पुत्रों के हिस्सा कर उनको काबिज कर बंटवारा पारिवारिक समझौते से करवा दिया था उसी अनुरूप पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं और उसी अनुरूप उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में बख्ताराम पक्षकार था उसकी स्वयं की अर्जित भूमि का बंटवारा करने का उनको पूर्ण अधिकार था । बख्ताराम ने दिनांक 19–04–1993 को रजिस्टर्ड

वसीयतनामा निष्पादित किया था । बख्ताराम की मृत्यु के बाद उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 18–02–1994 को आराजी खसरा नम्बर 27, 29, व 24 बलवन्ताराम, हिरकनराम व बनाराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया । बख्ताराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वयं अर्जित भूमि को स्वयं के पुत्रों, अपने चचेरे भाई हिरकिशन के नाम बंटवार कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में स्वयं प्रतिवादी बख्ताराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया था, उक्त राजीनामे को पढकर सुनाया गया था जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया था । विवादित आराजी बख्ताराम की स्वअर्जित भूमि थी जिसके सम्बन्ध में बख्ताराम को राजीनामा करने का विधिक अधिकार प्राप्त था । विवादित आराजी पैतृक होना साबित नहीं है और जब तक विवादित आराजी पैतृक साबित न हो तब तक उक्त आराजी में बख्ताराम के पुत्रों का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे तथा परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–091965 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–12–2003 बहाल रखा जावे ।

11– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। हमने सर्वप्रथम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में राजस्व वाद संख्या 157/1965 मंगलाराम बनाम बख्ताराम की प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त वाद के निर्णय की प्रमाणित प्रति, उक्त वाद में प्रस्तुत राजीनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि, नामान्तरकरण संख्या 14 जो वाद संख्या 157/1965 में पारित निर्णय

की पालना में दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 14 की पालना के अनुसार जमाबन्दी संवत् 2033–2036 में अंकित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात हैं । इसके अलावा सेल–डीड जो कि पैंतालीस रूपये एवं तीन रूपये के स्टाम्प पर आलेखित है मूल ही संलग्न है । इसके अलावा विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न हैं । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं तथा प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में हम उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12– परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट पांचाराम व माणक राम ने एक वाद संख्या 159/1965 अपने पिता बख्तावर के विरूद्ध प्रस्तुत किया था । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न एक अन्य वाद संख्या 157/1965 मृतक मंगलाराम व बगडूराम ने अपने पिता बख्तावर के विरूद्ध पेश किया । दोनों वादों में पक्षकारान के द्वारा राजीनामे किये गये और राजीनामे के अनुसार दोनों वादों का निस्तारण किया गया । अपीलान्ट मृतक मंगलाराम ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष वाद संख्या 159/1965 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जबकि स्वयं मृतक मंगलाराम व उनके भाई बगडू राम के द्वारा भी परीक्षण न्यायालय में **एक वाद संख्या 157/1965 प्रस्तुत किया गया था जिसमें उनके द्वारा राजीनामा किया गया और राजीनामे के आधार पर वाद का निस्तारण किया गया जिसमें उनको वाके मौजा सरनायत की आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 225 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 68 रकबा 185 बीघा 10 बिस्वा भूमि बंटवारे में दी गई है । वाद संख्या 157/1965 में पारित निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 14 स्वीकृत किया गया है ।** प्रस्तुत

प्रकरण में बख्ताराम द्वारा अपने पुत्रों को पृथक–पृथक भूमि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में दी गई थी । अपीलान्ट मृतक मंगलाराम द्वारा अपने पिता के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने विभाजन में अपने हक–हिस्से की भूमि प्राप्त कर ली गई थी । विवादित आराजी बख्ताराम की स्वअर्जित भूमि थी तथा बख्ताराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने सभी पुत्रों के हिस्सा कर उनको काबिज कर बंटवारा करवा दिया था उसी अनुरूप पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं और उसी अनुरूप उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में स्वयं प्रतिवादी बख्ताराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया था, उक्त राजीनामे को पढकर सुनाया गया था जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया था । विवादित आराजी बख्ताराम की स्वअर्जित भूमि थी जिसके सम्बन्ध में बख्ताराम को राजीनामा करने का विधिक अधिकार प्राप्त था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में बख्ताराम पक्षकार था उसकी स्वयं की अर्जित भूमि का बंटवारा करने का उनको पूर्ण अधिकार था । विवादित आराजी पैतृक होना साबित नहीं है और जब तक विवादित आराजी पैतृक साबित न हो तब तक उक्त आराजी में बख्ताराम के पुत्रों का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है । अपीलान्ट मंगलाराम ने वाद संख्या 159/1965 जो पांचाराम व माणकराम ने अपने पिता बख्ताराम के विरूद्ध पेश किया था के विरूद्ध तथ्यों को छुपाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने खारिज कर दिया जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट मृतक मंगलाराम ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–09–1965 के विरूद्ध सन् 2003 में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो लगभग 38 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है जबकि अपीलान्ट स्वयं ने परीक्षण न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 157/1965 पेश किया था उक्त वाद को भी परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 08–09–1965 के द्वारा राजीनामे के

आधार पर निर्णित किया गया था । अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमो के पैरा संख्या 03 में कथन किया है कि, **"वादी रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत वादग्रस्त भूमि बाबत् वाद पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि स्वयं के हिस्से में आना बताया । वादीगण ने अपीलान्ट एवं बख्ताराम के वारिसों का वाद में जिक्र नहीं किया एवं न ही उनको पक्षकार बनाया तथा न ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है । वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के पिता की भूमि होने से जो हिस्सा रेस्पोडेन्ट का बनता है वही हिस्सा अपीलान्ट एवं बख्ताराम के अन्य वारिसों का बनता है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा रेस्पोडेन्ट को नहीं दिया जा सकता विद्वान् सहायक कलक्टर ने वादी का वाद डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है ।"** हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं है क्योंकि अपीलान्ट मृतक मंगलाराम ने भी परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 157/1965 पेश किया था जिसमें भी लिखित में राजीनामा पेश किया गया था और उक्त राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया था । **उक्त राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 14 स्वीकृत किया गया था जिसके आधार पर नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सरणायत तहसील पोकरण में स्थित आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 125 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 100 बीघा कुल किता 03 रकबा 279 बीघा 11 बिस्वा भूमि मंगलाराम, बगडू पि0 बख्ताराम के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है ।** अपीलान्ट मंगलाराम ने अन्य वाद संख्या 159/1965 में किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, इस प्रकार अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । **यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पांचाराम व माणकराम द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 159/1965 एवं अपीलाण्ट मृतक मंगलाराम द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 157/1965 जो मंगलाराम द्वारा पेश किया गया था दोनों में एक ही अभिभाषक श्री आशाराम नियुक्त थे जो वाद संख्या 159/1965 में संलग्न वकालतनामा जो पृष्ठ संख्या 07 पर संलग्न है से पुष्टि होती है। इसी प्रकार मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के**

साथ संलग्न दस्तावेजात में वाद संख्या 157/1965 में प्रस्तुत वाद पर अभिभाषक के हस्ताक्षर किए हुए है जो वादी मंगलाराम द्वारा नियुक्त अभिभाषक श्री आशाराम के हस्ताक्षरों से पुष्टि होती है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत दोनों वादों में श्री आशाराम अभिभाषक दोनों वादीगण की ओर से नियुक्त थे। विवादित आराजी बख्ताराम की स्वअर्जित सम्पत्ति थी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं जवाब अपील में रेस्पोडेन्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि सन् 1984 में मंगलाराम ने अपने पुत्रों के नाम से उपनिवेशन विभाग मोहनगढ में भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे । उक्त आवेदन पत्रों में उन्होंने विवादित आराजी में अपना, अपने पिता का हिस्सा होना नहीं माना है और न ही अपने आवेदन पत्र में विवादित भूमि को अपना होना माना है । दिनांक 21–05–1990 को उनके सभी छः पुत्रों के नाम भूमि आवंटित की गई है । बख्ताराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वयं अर्जित भूमि को स्वयं के पुत्रों के नाम बंटवार कर दी । उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है । हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में विवाद पिता और पुत्रों के मध्य है । बख्ताराम ने अपने जीवनकाल में ही भूमि को न्यायालय के द्वारा विभाजित कर दिया है । विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न–भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से हम सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

13– परिणामतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–12–2003 एवं परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 08–09–1965 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य